न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैंथल (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम : मूलचन्द लुनिया, (आर.ए.एस.) अति० चार्ज
प्रकरण संख्या : 02/2024
दायर दिनांक : 07.02.2024
निर्णय दिनांक : 22.01.2025

1. राजकुमार पुत्र जयराम जाति मीना निवासी बासडी उदाला तहसील सैंथल जिला दौसा

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुण्डल जिला दौसा।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज० भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज० भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी वाके ग्राम सिंघलवास तहसील सैंथल जिला दौसा में आराजी खसरा नंबर 1277, 1278, 1280, 1281, 1282, 1283, 1287 कुल किता 7 कुल रकबा 1.67 है० स्थित है जिसका खाता संख्या नया 16 व पुराना 165 है जिसके वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी हिस्सा 1/8 की राजेश पुत्र जैयराम के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। इस प्रकार प्रार्थी उपरोक्त आराजीयात का हिस्सा 1/8 का खातेदार है। ग्राम बासडी कलांक में आराजी खसरा नम्बर 494, 502, 503, 504, 609, 610 कुल किता 6 कुल रकबा 1.65 है० स्थित है जिसका नया खाता संख्या 43 पुराना खाता संख्या 40 है। जिसकी खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में हिस्सा 1/8 की राजेश पुत्र जयराम के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है। इस प्रकार उक्त भूमि में प्रार्थी का हिस्सा 1/8 है व खातेदार है। उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम राजेश पुत्र जयराम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी के लाड प्यार का नाम राजेश था किसी कारण से राजस्व रिकॉर्ड में भूलवश व गलती से राजेश पुत्र जैयराम अंकित हो गया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम राजकुमार पुत्र जयराम मीना है तथा वर्तमान जमाबन्दी में भी प्रार्थी का नाम राजेश नाम अंकित कर दिया गया जिसका कोई इल्म प्रार्थी को पूर्व में नहीं हो सका। प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम राजकुमार पुत्र जयराम है किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम राजकुमार के स्थान पर राजेश इन्द्राज हो रहा है, जिसे प्रार्थी न्यायालय का संरक्षण प्राप्त कर दुरुस्ती कराने का अधिकारी है। प्रार्थी के सभी रिकॉर्डेड दस्तावेजात जिसमें प्रार्थी का भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र, 10वीं की मार्कशीट, ड्राईविंग लाईसंन्स आदि सभी दस्तावेजात में प्रार्थी का वास्तविक नाम राजकुमार अंकित है। ऐसी सूरत में उक्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम दुरुस्त किये जाने में कोई कानूनी

उपखण्ड अधिकारी
सैंथल

अडचन भी नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रश्नगत आराजी के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी खाता संख्या नया 16 व पुराना 165 में राजेश पुत्र जैयराम हिस्सा 1/8 दर्ज है उसके स्थाना पर राजकुमार पुत्र जयराम मीना अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती की जावे तथा ग्राम बासडी कलां के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में खाता संख्या नया 43 व पुराना 40 में राजेश पुत्र जयराम हिस्सा 1/8 दर्ज है उसके स्थान पर राजकुमार पुत्र जयराम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 को दुरुस्त फरमाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गयी। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार सैंथल ने पत्रांकः–भू0अ0/2024/864 दिनांक 01.07.2024 द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया जिसमें ग्राम सिंघलवास व बासडीं कलां राजस्व रिकॉड में प्रार्थी राजेश पुत्र जयराम के स्थान पर सही व शुद्ध नाम राजकुमार पुत्र जयराम किये जाने की अनुशंषा की गई है।

प्रकरण में बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रश्नगत आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने का निवेदन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी ग्राम सिंघलवास व ग्राम बासडी कलां तहसील सैंथल स्थित अपनी खातेदारी भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम राजेश के स्थान पर राजकुमार अंकित करवाना चाहता है। तहसीलदार सैंथल ने अपने जवाब में ग्राम सिंघलवास व बासडी कलां में प्रार्थी का नाम जमाबन्दी में राजेश पुत्र जयराम जाति मीना दर्ज रिकॉर्ड है परन्तु प्रार्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजात, सह–खातेदारान के बयान व सहमति हस्ताक्षर तथा उपस्थित मौतबीरान व्यक्तियों के अनुसार प्रार्थी का नाम राजकुमार पुत्र जयराम जाति मीना जाहिर आया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, विभिन्न दस्तावेजात, रिपोर्ट पटवारी अनुसार ग्राम सिंघलवास व बासडी कलां राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी राजेश पुत्र जयराम के स्थान पर सही व शुद्ध नाम की अनुशंषा की गई है।

प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजात् यथा भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र, 10वीं की मार्कशीट, ड्राईविंग लाईसंन्स में भी प्रार्थी का नाम राजकुमार अंकित है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार सैंथल को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम सिंघलवास तहसील सैंथल स्थित खाता संख्या नया 16 व पुराना 165 में राजेश पुत्र जैयराम हिस्सा 1/8 व बासडी कलां तहसील सैंथल स्थित खाता संख्या नया 43 व पुराना खाता संख्या 40 में राजेश पुत्र जयराम हिस्सा 1/8 वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम राजेश

उपखण्ड अधिकारी
सैंथल

पुत्र जयराम के स्थान पर राजकुमार पुत्र जयराम अंकित किया जावे। तहसीलदार सैंथल को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सैंथल

(मूलचन्द लुणिया)
उपखण्ड अधिकारी, सैंथल